रूप से कहना संभव नहीं हैं कि भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़ रही हैं। परन्तु इस संभावना की अनदेखी नहीं की जा सकती हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सरकार, स्थिति की निरन्तर पुनरीक्षा कर रही हैं तथा अवैध रूप से घुसपैठ करने और ठहरने की समस्या से निपटने के लिए, समय समय पर उपाए किए हैं। किए जा चुके उपायों में, अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करना अधिक निगरानी बुर्जो का निर्माण करना, सीमा पर गश्त तेज करना, घुसपैठियों का पता लगाने के काम पर अधिक जोर देना, इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षत्रों प्रशासनों को ऐसे विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उनको वापस भेजने के लिए विशेष और गहन अभियान चलाने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

सीमा पर गैर-कानूनी घुसपैठ और व्यापार

3625. **सरदार जगजीत सिह अरोड़ा :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1992 के "संडे मेल" में प्रकाशित "बंगाल टोल्ड टू कर्ब लाइसेंस इश्यू 15 कि० मी० फ्राम बार्डर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमा पर गैर-कानूनी घुसपैठ और व्यापार को रोकने के लिए कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में बड़े पैमाने पर घुसपैठ और अवैध व्यापार जारी है और विभिन्न शहरों विशेष रूप से दिल्ली में इन अवैध घुसपैठियों के आपराधिक क्रियाकलापों के समाचार प्राप्त हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश की सीमाओं पर पांच से दस किलो-मीटर के दायरे में प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा पट्टी का उपबंध न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। उपायों में, गश्त और नाकाओं की संख्या में वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ निगरानी बुर्जों का निर्माण करना, बेहतर निगरानी और कड़ी सतर्कता के लिए सीमा पर तैनात कार्मिकों के लिए नाईट विजन डिवाइस, टूरबीन, हाथ में पकड़ी जाने वाला टार्च इत्यादि की आपूर्ति करना, नदी तटीय क्षेत्रों सहित सीमा पर, गशत गहन करना, सीमा पर सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना और पश्चिमी क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लड लाईटिंग की व्यवस्था करना, पूर्वी सीमा के संवदन-शील क्षत्रों में सीमा सड़कों का निर्माण करना, घुसपैठियों/तस्करों के प्रवेश को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में रुकावटें पैदा करना, सीमा सुरक्षा बल इत्यादि के आसूचना तंट को सक्रिय बनाना शामिल है।

(घ) सीमा सुरक्षा बल और संबधित राज्य पुलिस बल घुसपैठ रोकने और

सीमा पर अवैध व्यापार को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए सभी संभव उपाय करती हैं।

(ङ) समस्या के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव को व्यवहारिक नहीं समझा गया।

चोरी की जांच

3626. **श्री दयानन्द सहाय :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 फरवरी, 1992 के "समाचार मेल" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुलिस आयुक्त करोड़ों रुपये मूल्य की चोरी से संबंधित मामले की जांच करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Revision of pay scale of Assistants of Delhi Administration

3627. DR. ABRAR AHMED :
SHRI A. G. KULKARNI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) what are the reasons for not giving the scale of Rs. 1640/- to the Assistant working in Delhi Administration, especially when a similar recruitment method and qualifications are laid down for the Assistant working in the Central Government and the Inspectors of Customs and Central Excise and Income Tax who have since been given the revised scale of Rs. 1640/- to 2900/- ;

(b) whether it is a fact that some organisations and associations have represented to Government ;

(c) if so, what are the details thereof ; and

(d) by when the scale is likely to be brought at par ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTRY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) Pay Scales to the employees of Central Government and Union Territory Administrations are given on the basis of the recommendations of the Central Pay Commissions. The IV CPC recommended the pay scales of Rs. 1640—2900 for the Inspectors of Customs and Central Excise and Income Tax, a pay scale of Rs. 1400—2600 for the Assistants of Central Government and a pay scale of Rs. 1600—2300 for the Assistants working in the Delhi Administration. The Central Government revised the pay scale of Assistants working in the Central Government, who are Group 'B' officers to Rs. 1640—2900 in July, 1990.

(b) to (d) Some representations for bringing the parity in the pay-scales of Assistants of Delhi Administration and Central Govt. were received by the Govt. but it was not found possible to accept the demand, as the posts of Assistants of Delhi Admn. and those of Central Secretariat are not in the comparable grades with the same classification and the mode of recruitment is not through the same Open Competitive Examination. The Assistants in the Central Government are classified as